एनसीईआरटी की अनुसंधान एसोशिएटशिप (शिक्षाविद्/शोधकर्ता पूल) की विस्तृत योजना

एनसीईआरटी ने उपर्युक्त योजना युवा शिक्षाविद्/शैक्षिक अनुसंधानकर्ता जिन्होंने विद्यालय शिक्षा से जुड़े विषयों पर पीएच.डी. की है परन्तु उन्हें अभी तक नियमित रोजगार नहीं मिला है, के अनुभवों का उपयोग करने के लिए प्रारंभ की है। यह योजना इन युवाओं को विद्यालय शिक्षा से जुड़े उनके संगत क्षेत्रों में योगदान करने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। इन युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और ज्ञान के माध्यम से विशेषकर एनसीईआरटी और व्यापक रूप में भारत में शिक्षा व्यवस्था को लाभ होगा। यह योजना सीएसआईआर की वरिष्ठ अनुसंधान एसोशिएटशिप (वैज्ञानिक पूल योजना) से प्रेरित है।

<u>प्रस्ताव के अनुबंध एवं शर्तें</u>

1. पात्रता

1. एसोशिएटशिप केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।
2. अभ्यार्थी आवेदन तिथि को शिक्षा अथवा सम्बंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. प्राप्त होना चाहिए ।
3. एनसीईआरटी में आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष हो। (छुट भारत सरकार के नियमानुसार)।
4. एसोसिएटशिप प्राप्ति की तिथि को अभ्यार्थी को कहीं और नियुक्ति नहीं होनी चाहिए ।

2. <u>प्रस्ताव स्वीकृति की शर्तें</u>

(i) प्रस्ताव की अनुबंध एवं शर्तें चयनित अभ्यर्थियों पर बाध्य होंगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रस्ताव पत्र जारी करने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में औपचारिक स्वीकृति भेजना अनिवार्य है। इसके साथ व्यक्ति की बेरोजगारी का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें।

(ii) कार्य ग्रहण के समय स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. <u>प्रस्ताव की वैधता</u>

स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त प्रस्ताव तीन माह की अवधि के लिए वैध रहेगा।

4. <u>अवधि</u>

(i) एसोशिएटशिप की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम दो वर्ष है, संबद्ध अध्यक्ष/पीआई की सिफारिश पर निदेशक के विवेकानुसार इसे आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि

अभ्यर्थी को कहीं अन्यत्र रोजगार प्राप्त होता है तो एसोशिएटशिप निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी।

(ii) एसोशिएट को रोजगार प्राप्ति के साथ ही एसोशिएटशिप समाप्त हो जाएगी।

5. <u>परिलब्धियाँ</u>

(i) चयनित उम्मीदवारों को इस योजना के तहत प्रतिमाह ₹ 35000/- का भुगतान किया जाएगा ।

(ii) शोध के लिए द्वितीय वातानुकुलित किराए तक की लागत मान्य होगी।

(iii) यात्रा के दौरान आवास, एनसीईआरटी के नियमों के अनुसार होगा।

(iv) एसोशिएट को एनसीईआरटी अथवा इसकी संघटक इकाइयों के होस्टल में यदि आवास उपलब्ध हुआ तो निर्धारित भुगतान पर दिया जा सकता है।

6. <u>स्थानन और स्थानान्तरण</u>

(i) चयनित अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी की संघटक इकाइयों में, इकाई के कार्यक्षेत्र और आवश्यकतानुसार किसी एक में तैनात किया जाएगा और वह संबंधित इकाई के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

(ii) एसोशिएट का प्राथमिक कार्य स्थानन के चिन्हित क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान/शिक्षण/व्यावसायिक कार्य का संचालन करना होगा।

(iii) एसोशिएट को एसोशिएटशिप के दौरान सुपुर्द कार्य के लिए पूर्ण समय समर्पित करना होगा।

(iv) एसोशिएट का स्थानान्तरण एनसीईआरटी की किसी भी संघटक इकाई में किया जा सकता है।

7. <u>अवकाश</u>

(i) प्रतिमाह @2.5 दिन के अवकाश की अनुमति होगी।

(ii) एसोशिएट को नियमित पदों के लिए साक्षात्कार हेतु जाने के लिए उसे देय छुट्टियों में से छुट्टी लेनी होगी।

(iii) एसोशिएट को एक साथ 05 दिन से अधिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी।

(iv) मातृत्व अवकाश बिना वेतन मान्य होगी। यदि एसोशिएट इस अवकाश का लाभ लेने के पश्चात् एसोशिएटशिप जारी रखना चाहती हैं तो अवकाश की अवधि के समान अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति होगी।

8. <u>अवधि की समाप्ति</u>

एसोशिएट की अवधि समाप्त हो जाएगी जब

i. रोजगार प्राप्त करने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से पदधारी त्यागपत्र देता है;

ii. उनकी सेवा आचरण नियम के अंतर्गत अनुशासनहीनता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण समाप्त की जाती है।

iii. संस्वीकृत अवधि समाप्त हो जाती है।

9. एसोशिएट के रूप में चयन अथवा कार्य करने का आशय एनसीईआरटी अथवा इसकी किसी संघटक इकाई में उत्तरवर्ती आमेलन का आश्वासन अथवा गारन्टी नहीं है।
10. एनसीईआरटी की वरिष्ठ अनुसंधान एसोशिएटशिप (शिक्षाविद्/अनुसंधानकर्ता पूल योजना) अस्थायी है और एनसीईआरटी, अथवा केन्द्र सरकार, अथवा राज्य सरकार, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पेंशन अथवा किसी अन्य सेवा लाभ हेतु मान्य नहीं है।
11. सभी आवेदन निम्नवत् निर्धारित प्रपत्र में स्व-सत्यापित आवेदन के साथ ही शोध प्रस्ताव, जो एसोसिएटशिप के दौरान करना है, का संक्षिप्त सारांश (1500 शब्दों से अधिक नहीं) भेजा जाना चाहिए ।
12. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि अखबार में विज्ञापन की तिथि से 30 दिनों तक।

<u>आवेदन हेतु पताः</u>

अध्यक्ष, डी.ई.आर., एन.सी.ई.आर.टी., श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली–110016

e-mail ID: ncertder@gmail.com

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग

अपना अद्यतन पासपोर्ट आकार की फोटो लगाएं

अनुसंधान एसोशिएटशिप (शिक्षाविद्/शोधकर्ता पूल) योजना हेतु आवेदन

1. नाम : श्री/श्रीमती/कुमारी : ....

2. नागरिकता : ....

3. जन्म तिथि : ....
(कृपया प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

4. यदि अनु.जा/अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग से संबंध रखते हैं तो निर्दिष्ट करें : ....

5. पत्राचार हेतु पता : ....
....
....

टेलीफोन नम्बर : ....

ई मेल : ....

6. स्थायी पता : ....
....
....

7. माता/पिता का नाम : ....

8. यदि कहीं नियुक्त हों तो, निम्नलिखित विवरण दें :-

नियोक्ता का नाम एवं पता : ....

नियुक्ति की तारीख : ....

पदनाम : ....

नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी/अस्थायी/तदर्थ/संविदाआधार पर/ कोई अन्य)
कार्य की प्रकृति : ....

(कृपया वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. शैक्षिक योग्यताएं

उत्तीर्ण की गई परीक्षाएँ	**बोर्ड/विश्वविद्यालय**	**वर्ष**	**विषय**	**डिवीज़न/ग्रेड**	**अंको का प्रतिशत**

10. पीएच.डी. का विषय : ....

11. एम.फिल का विषय : ....

....

12. कोई अन्य अर्हताएँ : ....

13. अनुभव * (शोध/शिक्षण/परामर्शकार्य/विस्तारण)

अनुभव की प्रकृति	संस्थान (पूर्ण पता सहित)	किस क्षमता में कार्य किया	अवधि

*प्रत्येक उलिलखित अनुभव के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए एक पृथक शीट संलग्न करें।

14. कोई अन्य संबद्ध सूचना जिसका आवेदन में उल्लेख न हुआ हो

15. प्रकाशन/प्रस्तुतिकरण

16. विद्यालय शिक्षा/ तैयार करने में शोध अभिरूचि

17. यदि एनसीईआरटी में कार्य करने का अवसर दिया जाए तो आप किस क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे? कृपया संक्षिप्त सार संलग्न करें।

18. कृपया दो विशेषज्ञ जो आपको जानते हैं, का संदर्भ दें।

स्थान :

दिनांक : अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

टिप्पणी : कृपया आवेदन-पत्र के साथ सभी अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों की स्वंसाक्ष्यांकित प्रतियाँ, प्रकाशन के प्रूफ एवं 1500 शब्दों में प्रस्तावित शोध का सार संलग्न करें।